

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्नु, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 26/08/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA) के क्रियान्वयन हेतु 05 वर्षों के अंतराल में बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रुपये) मात्र के विरुद्ध प्रथम वर्ष के लिए बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय संकल्प ज्ञापांक 233 दिनांक 09.07.2024

आदेश :- स्वीकृत।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित, उत्साहित एवं सक्षम शिक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का निरंतर विकास अनिवार्य है। झारखण्ड के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के विकास हेतु पिछले कई वर्षों में अनेक पहल की गई है, लेकिन वर्तमान प्रणाली शिक्षकों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक तकनीकी ज्ञान के साथ अपने विषय से संबंधित नये ज्ञान का निर्माण करें और एक सुविधाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाये।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 233 दिनांक-09.07.2024 के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों/पदाधिकारियों/अध्ययनरत छात्रों के क्षमतावर्द्धन हेतु झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (JSHEC) अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के तहत झारखण्ड राज्य में Jharkhand State Faculty Development Academy का गठन किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 233 दिनांक 09.07.2024 के आलोक में दिनांक 09.05.2025 को सम्पन्न हुये झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 20वीं बैठक के एजेन्डा नं0- 17 के आलोक में Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र पर निर्णय लिया गया है।

4. उपर्युक्त कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA) के क्रियान्वयन हेतु 05 वर्षों के अंतराल में बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रुपये) मात्र के विरुद्ध प्रथम वर्ष के लिए बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, उपशीर्ष- BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203102BU000679) (स्कीम कोड-2172) के अंतर्गत होगा।"

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.23 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।
7. वित्त विभाग के संकल्प झापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की

विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं कार्यपालक निदेशक उक्त राशि को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

10. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

11. अकादमी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा एवं अनुश्रवण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से की जायेगी।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

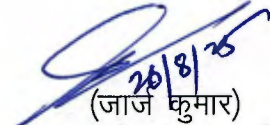
14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

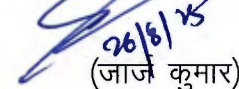
17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-3/यो01-12/2025 (उ0शि0) 115/944/राँची, दिनांक- 26/08/2025
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-3/यो01-12/2025 (उ0शि0) 115/944/राँची, दिनांक- 26/08/2025
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची/प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।